

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
संबोधित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो उप क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य सिना जाए जिससे सुविधा हो।



ग्राम : दूरीवर्ती  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(नियालय)  
2442462 (विद्यालय)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiawaji.edu/>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ ५७६१

दिनांक : 13/12/12

### // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के पद क्रमांक (37) के लिए ग्रन्थालय कॉलेज ऑफ बर्सिंग साइंसेस, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. (बर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाइ सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

#### शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य की नियुक्ति एवं शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों को कार्यपरिषद् से अनुमोदित करायें। प्राचार्य के पद पर श्रीमती दीपाली तुलकर जो आपके महाविद्यालय में व्योचित विद्याया गया है उनकी नियुक्ति अन्य महाविद्यालय में भी दर्शायी गयी है अतः आप एक शपथपत्र दें जिसमें यह लिखा हो कि सम्बोधित नाम को प्राचार्य आपके महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर किस दिनांक से कार्यरत है। और इस समय भी प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहा है।
2. ग्रन्थालय में रु. 50,000/- की मानक पुस्तकें क्रय करें।
3. कम्प्यूटर लैब में लाइसेंस साप्टवेयर क्रय करें।
4. शासकीय नियाय की नियमित बैठकें आयोजित करें।
5. परिनियम 27, 28 का पालन सुनिश्चित करें।

आदेशालय  
  
कुलसचिव

#### प्रति,

1. प्राचार्य, ग्रन्थालय कॉलेज ऑफ बर्सिंग साइंसेस, ग्वालियर
2. सचिव, हाईकोर्ट बर्सिंग कौसिल, डैपल लैन, कोट्टा मार्ग, नई दिल्ली
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, शोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)